न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 197/2024(GCMS : 2024/280)

बृजमोहन पुत्र श्री शिवलाल जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **सरपंच जरिये ग्राम पंचायत घमूड़वाली** तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **ओम प्रकाश** पुत्र खेताराम
3. **बृजलाल** पुत्र सुरजाराम
4. **मनीराम** पुत्र सुरजाराम
5. **इन्द्रादेवी** पुत्री शिवलाल
6. **राधा** पुत्री शिवलाल
7. **रणजीत** पुत्र शिवलाल
8. **सुलोचना** पुत्री शिवलाल
9. **दिनेश** पुत्र गोवर्धन
10. **शारदा देवी** पुत्री चावली देवी

(2 से 10) जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी एवं अप्रांर्थी संख्या 7 के अधिवक्ता श्री विक्रम पूनिया उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी ने कथन किया है कि प्रार्थी ने तहसील पदमपुर की ग्राम पंचायत घमूड़वाली द्वारा स्वीकृत व कूटरचित इन्तकाल संख्या 99 दिनांक 22.07.1976 व इन्तकाल संख्या 330 दिनांक 15.11.2014 को निरस्त करने हेतु एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में [illegible] 18.07.2024 को पेश की, जिस पर उक्त अपील प्रकरण संख्या 61/2[illegible] पर दर्ज की जाकर आगामी तारीख पेशी, वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु मुकर्र की गई [illegible] प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में विचाराधीन है।

Manju

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 07 रणजीत के ससुराल परिवार के पीठासीन अधिकारी अजीत गोदारा से व्यक्तिगत सम्बन्ध है, जिसके चलते अक्सर रणजीत एवं पीठासीन अधिकारी का आपस में मिलना जुलना होता है, जिसके कारण वर्तमान पीठासीन अधिकारी भी अप्रार्थीगण की पक्ष ले रहे है तथा आनन फानन में उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के पक्ष में करने की फिराक में है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना कोई सुनवाई किये उक्त प्रकरण को पीठासीन अधिकारी के पक्षपात पूर्ण रवैया के कारण प्रार्थी को अदालत मातहत के प्रति अविश्वास हो गया है तथा न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी 07 भी एलानियां कह रहे है कि तू चाहे जो कर लो, इस केस का निर्णय हमारे पक्ष में होगा, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के मन में सन्देह पैदा हो गया है कि प्रार्थी को न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। प्रार्थी न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त प्रकरण को अन्य किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष अन्तरित करवाना चाहता है ताकि बिना किसी पक्षपात के प्रार्थी को न्याय मिल सके। इसलिए प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपने विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम पूनिया ने कथन किया कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी पर कोई दबाव नही बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को प्रार्थी की [illegible] के अनुसार अन्य सक्षम अधिकारी को मुन्तकिल कर दिया जावे तो [illegible] कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर, कोई आपत्ति प्रस्तु नहीं की है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पमदपुर के न्यायलाय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 62/2024 अनवानी बृजमोहन बनाम ग्रम पंचायत घमूड़वाली में निष्पक्ष न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है और अप्रार्थी के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 62/2024 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायलाय में उक्त विचाराधीन प्रकरण संख्या 62/2024 अनवानी बृजमोहन बनाम ग्राम पंचायत घमूड़वाली को न्यायहित में अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित होगा। और उन्हें आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, नियमानुसार एवं विधिसम्मत् शीघ्र निर्णय पारित करें। उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तुरन्त प्रभाव से उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19.05.2025 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर